अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर, 2009

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त, 2009

क्रमांक –1783/म.प्र.वि.नि./2009 – . विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36, वर्ष 2003) की धारा 181(1) तथा धारा 181(2)(वी) तथा (डब्लू) सहपठित धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2004 को अधिसूचित ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004'' को पुनरीक्षित करता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ

1.1 ये विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप)/(पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009'' (आरजी–17(I)/वर्ष 2009)''** कहलायेंगे ।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

1.3 ये विनियम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के समस्त विद्यमान/भावी उपभोक्ताओं को लागू होंगे।

परिभाषाएं

1.4 ''चूक (Default)'' से अभिप्रेत है उपभोक्ता द्वारा ऊर्जा देयक का निर्धारित तिथि तक भुगतान करने में अवहेलना करना ।

1.5 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 (क्र. 36, वर्ष 2003), मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2000(क्र. 4, वर्ष 2001) एवं मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित हैं।

प्रतिभूति निक्षेप

1.6 अनुज्ञप्तिधारी समस्त उपभोक्ताओं से निम्न हेतु प्रतिभूति निक्षेप राशि का संग्रह कर सकता है:

(अ) मीटरों हेतु

(ब) तन्तुपथ (लाइनों) तथा संयत्रों हेतु

(स) विद्युत की खपत हेतु

1.7 (क) निम्नदाब उपभोक्ता से प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि का सम्मिलित करते हुए, को नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे–आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

(ख) अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता से प्रतिभूति निक्षेप, अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को सम्मिलित करते हुए, को निम्न विकल्पों में से किसी एक के द्वारा स्वीकार किया जाएगा :

(i) 45 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नगद अथवा धनादेश द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चैक) के रूप में भुगतान किया जाएगा ।

अथवा

(ii) 30 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में किया जाएगा तथा 15 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप की राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक को सम्मिलित करते हुए, सावधि जमा (फिक्सड डिपाजिट) योजना में न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु जमा करते हुए, इसे यथोचित अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में रहन (Pledged) रखा जाएगा । उपभोक्ता बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में जारी इस आशय के पुष्टिकरण पत्र की प्रस्तुति हेतु उत्तरदायी रहेगा कि उपरोक्त राशि अभी भी अनुज्ञप्तिधारी के पक्ष में रहन पर है । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भी इसे छमाही सुनिश्चित किया जाएगा । उपभोक्ता सावधि जमा के समयबद्ध नवीनीकरण हेतु भी उत्तरदायी रहेगा जिसका परिपालन न किये जाने पर उसे ऐसी राशि को नगद में ही जमा करना होगा तथा उपभोक्ता को और आगे यह विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाएगा । उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप राशि की बारह माही समीक्षा किये जाने पर, प्रतिभूति निक्षेप की वांछित राशि के विरूद्ध किसी आधिक्य/कम राशि को केवल नकद में क्रमशः समायोजित (क्रेडिट)/भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विनियम 1.21 के अनुसार केवल नगद में जमा की गई राशि पर ही ब्याज देय होगा ।

अथवा

(iii) 30 दिवस की खपत के बराबर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चैक) के रूप में किया जाएगा। तथापि, यह इस उपबंध के अध्यधीन होगा कि उपरोक्त दर्शाये गये नगद प्रतिभूति निक्षेप की 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान उसके द्वारा

प्रत्येक बिलिंग माह में, देयक जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर नगद अथवा धनादेश (चेक) के रूप में (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे–आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) द्वारा किया जाएगा तथा चालू देयक की अवशेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान उसके द्वारा निर्धारित तिथि(ओं) को उक्त राशि के समायोजन उपरान्त, बिना किसी ब्याज के किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यदि कोई उपभोक्ता 50 प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि का भुगतान किसी भी माह में उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये अनुसार देयक जारी होने की तिथि से 7 दिवस के अन्दर नहीं करता है तो उसे और आगे यह विकल्प उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तथा उसे 15 दिवस की खपत के बराबर अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि का भुगतान नगद अथवा धनादेश (चेक) द्वारा (इसकी वसूली के अध्यधीन) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा भुगतान आदेश (पे–आर्डर) अथवा बैंकर धनादेश (बैंकर्स चेक) के रूप में करना होगा ।

(ग) ऐसे प्रकरण में, जहां कोई अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता नोटिस अवधि के अन्तर्गत उपरोक्त विकल्प में से किसी भी विकल्प का चयन नहीं करता है तो ऐसी दशा में, उसे विकल्प ख (i) लागू होगा ।

(घ) उपरोक्त विकल्प ख (ii) तथा (iii) चूक शर्त के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को लागू न होंगे । ऐसे उपभोक्ताओं को प्रतिभूति निक्षेप केवल नगद में जमा करना होगा ।

(ड़) प्रतिभूति निक्षेप राशि की गणना स्थाई प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों, टैरिफ न्यूनतम अन्तर, विद्युत शुल्क, ऊर्जा विकास उपकर, मीटर भाड़ा आदि को ध्यान में रखकर की जाएगी, परन्तु गणना में विलंबित भुगतान अधिभार, भार कारक (लोड फेक्टर)/ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहनों आदि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

नवीन विद्युत प्रदाय हेतु संयंत्र/तन्तुपथ (लाइन) के विरूद्ध प्रतिभूति निक्षेप

1.8 अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से तन्तुपथ (लाइन) तथा संयंत्र के विरूद्ध जहां ऐसे उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय हेतु कोई विद्युत तन्तुपथ (लाइन) या विद्युत संयंत्र संस्थापित कराया जाना हो, को ऐसे तन्तुपथ (लाइन) या संयंत्र की व्यवस्था के संबंध में प्रतिभूति निक्षेप वसूल कर सकेगा।

मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी)

1.9 अनुज्ञप्तिधारी मीटर हेतु प्रतिभूति निक्षेप की राशि संग्रह कर सकेगा । नवीन विद्युत संयोजनों के लिए मीटर की प्रतिभूति निक्षेप राशि, विद्युत प्रदाय स्वीकृति के उपरांत तथा मीटर/मीटरिंग संयंत्रों की स्थापना से पूर्व, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से अनुमोदन प्राप्त कर, समय–समय पर, निर्धारित दरों की तालिका के अनुरूप देय होगी। यदि नवीन संयोजन का कोई आवेदक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप राशि जमा करने में चूक करता है तो वितरण

अनुज्ञप्तिधारी यदि उचित समझे तो, ऐसी चूक की गई अवधि तक, विद्युत प्रदाय करने से इनकार कर सकेगा।

1.10 अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे विद्यमान विद्युत संयोजनों के संबंध में, जहां मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) की राशि संग्रह न की गई हो, विनियम 1.8 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार, जब भी मीटर प्रतिस्थापित किया जाए, मीटर प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) की राशि का संग्रह कर सकेगा।

1.11 जहां मीटर हेतु प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) की राशि पूर्व में संग्रह की जा चुकी हो तो अनुवर्ती मीटर की लागत के अंतर की राशि तत्पश्चात उच्च मीटर प्रौद्योगिकी, मीटर के दोषपूर्ण होने, मीटर के कार्य न करने, आदि कारणों से संग्रह नहीं की जाएगी ।

1.12 जब उपभोक्ता स्वयं के व्यय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप मीटर स्थापित करता है तो मीटर की प्रतिभूति निक्षेप (एमएसडी) राशि संग्रह नहीं की जाएगी।

प्रारंभिक ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप

1.13 अनुज्ञप्तिधारी नवीन सेवा संयोजन हेतु उपभोक्ता से विनिर्दिष्ट दिवस संख्या के लिए प्राक्कलित खपत के समान खपत हेतु निम्न तालिका के अनुसार प्रतिभूति राशि स्वीकार कर सकेगा :

क्र.	उपभोक्ता का प्रकार	दिवस संख्या
1	कृषि (i) स्थायी (ii) अस्थायी	 90 अस्थाई संयोजन की पूर्ण अवधि हेतु, न्यूनतम 60 दिवस की अवधि के अध्यधीन, यदि संयोजन माह जुलाई से फरवरी के मध्य उपयोग किया जाना हो तथा न्यूनतम 30 दिवस की अवधि के अध्यधीन, यदि संयोजन माह मार्च से जून के मध्य, थ्रेशिंग कार्य हेतु उपयोग किया जाना हो। उपभोक्ता, तथापि, संयोजन का उपयोग यहां दर्शायी गई अवधि से कम दिवसों हेतु प्रतिभूति निक्षेप की वसूली बाबत्, प्रतिभूति निक्षेप की राशि पूर्ण अवधि हेतु जमा किये जाने के अध्यधीन कर सकेगा। प्रतिभूति निक्षेप की अधिक राशि संयोजन अवधि के पूर्ण होने तथा संयोजन के विच्छेद उपरांत वापसी योग्य होगी।

2	मौसमी (सीजनल)	वार्षिक खपत का 25 प्रतिशत
3	स्टोनक्रशर, हॉट–मिक्स संयंत्र	90
4	विधिक आधिपत्य का प्रमाण प्रस्तुत न कर सकने वाले उपभोक्ता	90
5	अन्य उपभोक्ता	45

1.14 यदि नवीन संयोजन का आवेदक ऐसी प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने में चूक करता हो तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि उचित समझे तो, ऐसी चूक की अवधि तक विद्युत प्रदाय प्रारंभ करने से इनकार कर सकेगा।

1.15 वितरण अनुज्ञप्तिधारी, निम्नदाब उपभोक्ताओं हेतु पूर्व–भुगतान मीटर के उपयोग द्वारा एक पूर्व–भुगतान योजना भी लागू करेगा । ऐसे प्रकरणों में उपभोक्ता को ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप राशि का भुगतान किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

1.16 (अ) शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप की गणना, संयोजित भार/संविदा मांग किलोवॉट, अश्वशक्ति (हार्स पावर) या केवीए में, जैसा कि प्रकरण हो तथा जिसके लिए अनुबंध निष्पादित किया गया हो, निम्न प्रकार से की जाएगी :

क्र.	**श्रेणी**	**<u>प्रतिभूति निक्षेप राशि की गणना हेतु आकलित खपत यूनिट प्रतिमाह (30 दिवस) हेतु.</u>**
1	घरेलू	(1) 150 यूनिट प्रति किलोवॉट (2) गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले उपभोक्ता (Life Line consumers) हेतु 35 यूनिट प्रति 250 वाट या उसका अंश
2	गैर–घरेलू	150 यूनिट प्रति किलोवॉट या उसका कोई अंश
3	जल प्रदाय संयंत्र	150 यूनिट प्रति किलोवॉट या 110 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या उसका कोई अंश
4	औद्योगिक	70 यूनिट प्रति किलोवॉट या 50 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या उसका कोई अंश
5	कृषि	120 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या उसका कोई अंश
7	थ्रेशर संयोजन	360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या उसका कोई अंश .
8	पथ–प्रकाश (स्ट्रीट लाइट)	270 यूनिट प्रति किलोवॉट या उसका कोई अंश
9	उच्चदाब उपभोक्ता	190 युनिट प्रति केवीए या उसका कोई अंश

उपभोक्ता द्वारा आवेदित संयोजित भार/संविदा मांग हेतु उपरोक्त दर्शाई गई तालिका के अनुसार गणना की गई यूनिट संख्या का, प्रचलित विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार समस्त बिलिंग शीर्षकों हेतु प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप राशि की प्राप्ति हेतु किया जाएगा। ऐसी गणना की गई प्रतिभूति निक्षेप अगले 100 (सौ) रूपये तक पूर्णांक की जाएगी।

(ब) अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों हेतु, प्रारंभिक प्रतिभूति निक्षेप की गणना शहरी क्षेत्रों की विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों की 50 प्रतिशत दर पर की जाएगी ।

ऊर्जा प्रदाय हेतु अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप

1.17 अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा उपभोक्ताओं से प्राप्त ऊर्जा प्रतिभूति निक्षेप (ईएसडी) की वार्षिक समीक्षा पिछले 12 माह की खपत के आधार पर प्रतिवर्ष माह अप्रैल में की जाएगी । अनुज्ञप्तिधारी उक्त समीक्षा के आधार पर उपभोक्ता से अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की वसूली हेतु, तीन समान किस्तों में देय, मांग में वृद्धि कर सकेगा, यदि प्रचलित विद्युत दरों (टैरिफ) आदि के आधार पर चाही गई प्रतिभूति निक्षेप की राशि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित प्रतिभूति निधि की राशि से 100/– रूपये या इससे अधिक हो ।

इसी प्रकार, जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप राशि आवश्यक राशि से अधिक पाये जाने की दशा में, वांछित राशि का आकलन (क्रेडिट) अनुवर्ती विद्युत देयकों में तीन समान किस्तों में किया जा सकेगा । तथापि, वांछित राशि का आकलन (क्रेडिट) निर्धारित समय में न किये जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगा ।

1.18 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की राशि जमा करने हेतु कम से कम एक माह की सूचना (नोटिस) देगा। यदि उपभोक्ता सूचना के अनुसार ऐसी अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप राशि को जमा करने में चूक करता है तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी चूक की निरंतरता की अवधि हेतु विद्युत प्रवाह को इनकार करने या रोकने के लिए प्राधिकृत होगा। यदि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप के भुगतान में विलम्ब करता है तो अनुज्ञप्तिधारी उसके विद्युत प्रवाह को रोके जाने के अधिकार के अन्तर्गत बिना किसी पक्षपात के इन विनियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता ऐसा अधिभार देने के लिए उत्तरदायी होगा जो ऊर्जा/मांग प्रभारों (टैरिफ आदेश में यथावर्णित) के भुगतान में विलम्ब के कारण देय अधिभार के समान हो।

1.19 किसी वित्तीय वर्ष में, मासिक देयकों के भुगतान में दो से अधिक बार चूक किये जाने की दशा में, ऐसे उपभोक्ता हेतु जिनका प्रतिभूति निक्षेप उनकी 45 दिवस की खपत के बराबर संधारित किया जाता है, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे उपभोक्ताओं का प्रतिभूति निक्षेप 45 दिवस के खपत स्तर से इसे 60 दिवस के खपत स्तर तक बढ़ाये जाने हेतु प्राधिकृत होगा ।

उपभोक्ता द्वारा विवादित/सतर्कता देयकों का भुगतान नहीं किये जाने को चूक नहीं माना जाएगा जबकि उपभोक्ता द्वारा समुचित प्राधिकारी को ऐसे देयक का पुनरीक्षण किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो तथा उपभोक्ता देयकों का भुगतान विद्युत अधिनियम,

2003 की धारा 56(1) के उपबंधों के अनुसार कर रहा हो जब तक कि समुचित अधिकारी द्वारा प्रकरण का अन्तिम रूप से निपटान न कर दिया जाए ।

जहां उपभोक्ता वित्तीय वर्ष के दौरान ऊर्जा देयकों का भुगतान समस्त माह की निर्धारित तिथियों के अन्तर्गत अथवा न्यूनतम आगामी 6 माह हेतु निरन्तर (इनमें से जो भी अवधि अधिक हो) करता हो, ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को 45 दिवस के बराबर की राशि नगद में प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा ।

1.20 ऐसे उपभोक्ता, जिन्हें अतिरिक्त भार स्वीकृत किया गया हो, के प्रकरण में अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप की गणना ऐसे अतिरिक्त भार के लिए एक नवीन विद्युत संयोजन के अनुरूप की जाएगी । इसी प्रकार, यदि संविदा मांग कम की जाती हो तो अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति की पुनर्गणना करेगा एवं कम की गई संविदा मांग के अनुबंध के आधार पर शेष उपलब्ध अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप को वह कम की गई अनुबंध मांग अन्तिम किये जाने संबंधी माह के बाद, उपभोक्ता के अनुवर्ती विद्युत देयकों की राशि में 3 समान किस्तों में समायोजित कर सकेगा ।

1.21 उपभोक्ता के निवेदन पर, अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप तीन किस्तों में जमा करने की सुविधा अनुज्ञेय कर सकेगा।

प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज

1.22 उपभोक्ता से ली गई प्रतिभूति निक्षेप नगद राशि पर, अनुज्ञप्तिधारी बैंक दर से (संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रेल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रचलित दर पर) ब्याज देगा । भारतीय रिजर्व बैंक की प्रचलित बैंक दर की जानकारी प्राप्त करने तथा बिलिंग प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को संसूचित करने का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का होगा ।

1.23 अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता को प्रतिभूति निक्षेप पर प्रतिमाह दिए जाने वाले ब्याज के बराबर राशि का समायोजन मासिक देयकों के माध्यम से करेगा। ऐसे समायोजन में तीन माह से अधिक का विलम्ब होने पर, उपभोक्ता संबंधित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में शिकायत दर्ज करा सकेगा।

1.24 प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज के भुगतान में विलम्ब की अवधि हेतु, समुचित प्राधिकारी द्वारा आरोपित किये जाने वाली शास्ति के अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज पर एक प्रतिशत की साधारण दर से ब्याज दिये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

प्रतिभूति निक्षेप की प्रत्यर्पण (Refund)

1.25 प्रतिभूति निक्षेप की राशि अनुबंध की समाप्ति पर तथा समस्त बकाया राशि के समायोजन के उपरांत, औपचारिकताओं की पूर्ति के 60 दिवस की अवधि में, उपभोक्ता को लौटा दी जाएगी। 60 दिवस से अधिक विलंब होने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को प्रचलित बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज, 60 दिवस की अवधि के उपरान्त देय होगा ।

अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विलंब की अवधि को मिलाकर प्रतिभूति निक्षेप की प्रत्यर्पण अवधि कुल मिलाकर 120 दिवस से अधिक न हो, जिसका उल्लंघन किये जाने पर आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारी पर आर्थिक दण्ड लगाया जा सकेगा जैसा कि आयोग अनुमोदित करे ।

संशोधन की शक्ति

1.26 आयोग किसी भी समय इन विनियमों के किसी प्रावधान को बढ़ा, संशोधित, परिवर्तित, सुधार या बदल सकेगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति

1.27 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे आदेश जारी करने की अन्तर्भूत शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जावेगा जो न्यायदान हेतु या आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों।

1.28 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को ऐसे प्रक्रियाएं अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों से भिन्न हों किन्तु विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) के प्रावधानों के अनुकूल हों तथा यदि आयोग किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, तथा ऐसे कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसे विषय या विषयों के वर्ग के निराकरण हेतु आवश्यक एवं उचित समझे।

1.29 इन विनियमों में कुछ भी प्रत्यक्ष या अंतरनिहित रूप से किसी विषय के निर्वहन या विद्युत अधिनियम 2003 (क्र. 36 वर्ष 2003) के अंतर्गत प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग से आयोग को नहीं रोकेगा जिनके लिए पृथक से विनियम नहीं बनाए गये हैं तथा आयोग ऐसे विषयों, शक्तियों एवं कार्यो पर ऐसे तरीके से कार्यवाही कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।

1.30 मध्यप्रदेश राजपत्र में क्रमांक 2560/विनिआ/2004 द्वारा दिनांक 1.10.2004 को अधिसूचित ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004'' सहपठित विषयवस्तु संबंद्ध समस्त प्रयोज्य संशोधनों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है ।

टीपः– इस **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009''** के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार,

अशोक शर्मा, उप सचिव